

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

 नई विल्ली, शमिवार, जुलाई 19, 1975/म्राषाढ़ 28, 1897

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975/ASADHA 28, 1897

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में एखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पाग II--खण्ड 3--उप-खंड (i)

PART II-Section 3-Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के ग्रावेश, उपनियम आवि सम्मिलत हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मित्रमंडल मिचवालय

(कार्मिक ग्रीर प्रशासनिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा॰का॰ित॰ 872 — प्रखिल भारतीय सेवा प्रिधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से परानगं के पश्चात्, प्रखिल भारतीय सेवा (अनुणासन श्रीर भ्रपील) नियम 1969 का श्रीर संशोधन करने के लिए एनद्द्वारा निम्नलिखिन नियम बनाती है, प्रथात् ——

- 1.~(1) ये नियम श्रायिल भारतीय (श्रनुशासन श्रीर श्रापील) सन्नोक्षन नियम, 1975, कहे जा सकेरो।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाणन की तारीख को लागु होगे।
- 2. शिखल भारतीय सेवा (श्रनुणासन श्रीर श्रिपील) नियम, 1969 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खण्ड (ग) श्रीर उसके स्पष्टीकरण] के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रति-स्थापित किया जायगा, अर्थान् .---
 - "(ग) 'सरकार' से अभिन्नेत है---
 - (i) राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे किसी सदस्य के बारे में या जो किसी ऐसी कंपनी, सगम या व्यब्टिनिकाय

में, चाहे निगमित हो या न हो, जो उन राज्य की सरकार के पूर्णतः या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उनके द्वारा नियंत्रित है या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी श्रावितियम द्वारा बनाए गए किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है, उस राज्य की सरकार;

GISTERED No. D(D)-73

- (ii) किसी ग्रन्य मामले में केन्द्रीय सरकार;
- 3. उपत नियम के नियम 3 में,---
- (i) "अनुशासिनिक कार्यवाहियो के दौरान निलंबन"—-शीर्षक के स्थान पर "निलंबन" गीर्थक प्रतिस्थापित किया जायगा;
- (ii) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रति-स्थापिन किए जाएगे, ग्रार्थात् --
 - (i) यदि किसी मामले में, परिस्थितियों को ग्रीर जहा श्रारोप के ब्यौरे बनाए गए है, यहां श्रारोों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, किसी राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जिस सदस्य के त्रिकृत श्रनुणामितिक का विशिधा श्रीकित है या निलंबित है, सेवा के उस सदस्य को निलंबनाधीन रखना ग्रावश्यक या बाछनीय है, तो वह सरकार, अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी होने श्रीर मामले से ग्रीतम श्रादेश पारित होने पर्यन्त---
 - (क) यदि सेवा का सदस्य उस सरकार के प्रधीन सेवा कर रहा है, सो उपे निलंबिन करने का प्रदिश पारिन कर सकेगी, या

hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1975
- (2) They shall come into force on the date of their publication the Official Gazette
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 against serial number 24, in

column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion:

Administratiive Officer (Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-EB-40-960) with 5 years' service in the grade rondered after appointment thereto on a regular basis."

[File No. 1/12/73-B(A)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सा का विन 895.—संबिधान के धतुक्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त ग्रधिकारों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति धाकाशवाणी (श्रेणी 1 पत्र)भर्ती नियमावली, 1963 में घतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतदुशारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्यातु:---

- ा. (1) इन नियमो को धाकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (तृतीय मंशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपक्त में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. श्राकाणवाणी (श्रेणी-1 पव) भर्ती नियमावली, 1963 की श्रनुसूची में, क्रम संबंधा 6 तथा तत्संबंधित प्रविष्टियों के स्वात पर निस्तिविद्यत क्रम संबंधा तथा प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायेंगी, श्रयोत्:--

	3	4	5	- 6	7	·	8
"11. निदेशक श्रोता भनुसधान ।	I	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1, राजपक्रित ।	1300-60-1600- 100-1800 सपर्वे (पूर्वे संबोधित)		45 वर्ष से भ्रंधिक नहीं (सरकारी कर्म- भारियों के लिए भ्रूट दी जा सकेगी)	(1) किसी विश्वासक । सनोविज्ञ या मर्थेश स्नातकोर परीक्षा	सान्वता प्राप्त विश्व- य की संसाख शास्त्र य ति या मानव विज्ञान गास्त्र या सांख्यिकी में तर डिग्नी या समकका पास । बित में कम से कम
						किस्ही वे प्रनुभव : (क) जनम् सर्वेद (क) श्रोत (ग) फिल्म	ो में लगभग 5 वर्ष का :— सत सर्वेक्षण या पाठक तण। ग्रमनुसंधान। गृटेलीविजन, विज्ञापन एय माध्यमों के प्रमाव
						(व) मार्केट भोक्ता	ट सर्वेक्षण स्रोर/या उप- ग्राह्यता सर्वेक्षण ।
						मायने में	योग्य अम्मीदवारों के सब लोक सेवा भ्रायोग क से भ्रहेताओं में छूट ।
9			11	12		3	14
न तागू नहीं होता	2 वर्ष		युक्ति पर स्वा- ।	तिनियुक्ति पर स्थानास्त भारतीय अर्थ-शास्त्र सेव सोख्यिकीय सेवा के ग्रेड- कारी, इसके न हो सकने	ना, भारतीय -1 के अधि-	ो होता	जैसा कि संघ लोक सेत्रा ग्रायोग (परा- मर्श से छूट) वि- नियम, 1958 के

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: लागू तही होता जैसा कि संच लोक भारतीय प्रयं-शास्त्र सेवा, भारतीय सेवा प्रायोग (परा-सोख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के अधि-कारी, इसके न हो सकने पर भार-तीय प्रयंशास्त्र सेवा या भारतीय प्रवंशास्त्र सेवा या भारतीय प्रवंशास्त्र सेवा या भारतीय प्रवंशास्त्र सेवा या भारतीय प्रवंशास्त्र है। सांक्यिकीय सेवा के ग्रेड-2 के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अधिक नहीं होगी)।

New Delhi, the 30th June, 1975

G.S.R. 1895.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the All India Radio (Class I Posts), Recruitment Rules, 1963, namely:

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1975.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5		6	7			8
"[]. Director, Audience Res		1 cch	General Central Service, Class I, Gazetted			cable 45 abl	45 years able for	Not exceeding 45 years (relax- able for Govern- ment servants)	Essential: (i) Master's degree in Sociology or Psychology or Anthropology or Economics or Statistics of a recognised University or equivalent.	
									(ii) Ab in s	out 5 years experience at least 2 of the following:
									(a)	Public Opinion Survey or Readership Survey.
									(b)	Listeners Research.
									(c)	Impact Studies of visual media like Film, Television, Advertising.
									(d)	Market Survey and/ or Consumer Accepta- bility Survey.
	_			— ———					disci Publi in ca	cations relaxable at the retion of the Union of Service Commission se of candidates other well qualified).
9	,	10	11	 	,	12		13		14
Not applicable	ble	2 years	failing	recruitment, which by n deputation	Officers I of the Service tical Servicer II of the Service tical Service tical Service trical Service (Perior Service)	on deputati belonging to the Indian E the, Indian ervice, failu the Indian E the Or Indian ervice with service in the dof deputa ly not excee	o Grade conomic Statis- ng which to Grade conomic in Statis- at least 3 he grade. ation; or-	Not app	licable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
				-						File No. 1/1/71-B (A)]
									M. L.	TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 896:-भारतीय जामधर श्रधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदहारा भारतीय डाकबर नियम, 1933 में संबोधन करने के लिए मागे निम्नलिखित नियम बनाती हैं, भर्यात :--47 GI/75--4.

1. इन नियमों को भारतीय डाकबर (चौथा) सशोधन नियम, 1975 कहा आयगा।

2 डाकथर नियम, 1933 के नियम 61 में उन नियम (3) के लिए निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायगा, ग्रयीत :--

"(3) यदि पोस्टमास्टर जनरल द्वा वात से सनुब्द है कि राजि डाकबर या चलते-फिरते डाकबर में अधिक काम को निपटाने तथा उसमें मभी व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं के साम्यिक उपलब्धता ्रमुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना ग्राधक्यक या इष्टकर है,